

198148 - क्या उसके लिए सोने को गिरवी रखना जायज़ है ताकि वह और उसकी पत्नी हज्ज करने के लिए धन प्राप्त कर सकें ?

प्रश्न

मेरी हाल ही में शादी हुई है। मैं और मेरी पत्नी परिवार निर्माण से पहले हज्ज के कर्तव्य को पूरा करने के लिए जाना चाहते हैं। हमारा कुछ धन समाप्त हो गया है, किन्तु हमारे पास अभी कुछ सोना बाक़ी रह गया है जो हमने तोहफे के रूप में पाया था। हम चाहते हैं कि उसे गिरवी रखकर कुछ धन हासिल कर लें ताकि हम उसके द्वारा हज्ज करने के लिए जायें। तो क्या इस तरीके से और इस तरह के धन से हज्ज करना जायज़ है या कि बेहतर यह है कि हम उसे बेच ही दें ? और क्या उस सोने में उसके गिरवी रखे होने की हलत में ज़कात अनिवार्य है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

आप दोनों पर इस धन के द्वारा जिसे आप दोनों ने उधार लिया है, हज्ज करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, जबकि आपके पास सोना या उसके अलावा कोई अन्य चीज़ मौजूद है, जिसके द्वारा, अदायगी के दुर्लभ होने की स्थिति में, कर्ज का भुगतान करना संभव है।

गिरवी रखना किताब व सुन्नत और इजमाअ (विद्वानों की सर्वसहमति) से जायज़ है।

और उसका उद्देश्य कर्ज को सुदृढ़ करना है ; ताकि कर्ज देनेवाला, कर्जदार से अपने हक़ की अदायगी को सुनिश्चित कर सके।

अल्लाह तआला ने फरमाया :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [البقرة : 283]

"और यदि तुम सफ़र में हो और किसी लिखनेवाले को न पा सको, तो गिरवी रखकर मामला करो। फिर यदि तुम आपस में एक दूसरे से सन्तुष्ट हो, तो जिसे अमानत दी गई है उसे चाहिए कि वह उसे अदा कर दे और अल्लाह से डरता रहे, जो



उसका रख (पालनहार) है।" (सूरतुल बकरा: 283).

और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि गिरवी सोने से हो, या चाँदी से या इसके अलावा अन्य धनों से हो, क्योंकि अल्लाह तआला का कथन (مَقْبُوضَةً) "गिरवी रख लिया करो" सर्वसामान्य है।

स्थायी समिति के विद्वानों से प्रश्न किया गया :

हमारे पास एक दोस्त आता है, और उसके पास सोना है, वह एक धन राशि माँगता है, हम उसे धन राशि दे देते हैं और धन राशि के बदले में सोना ले लेते हैं यहाँ तक कि वह भुगतान कर दे। तो इसका क्या प्रावधान है ?

तो समिति के विद्वानों ने उत्तर दिया : "चाँदी में सोना, और सोना में चाँदी रहन (गिरवी) रखना जायज़ है।"

स्थायी समिति के फतावा (13/480) से समाप्त हुआ।

तथा समिति के विद्वानों से यह भी पूछा गया कि :

मेरे पास बिजली के उपकरणों को क्रिस्तों पर बेचने के लिए एक संस्था है, और वह गिरवी रखने की विधि से है ; ग्राहक आता है और एक निर्धारित मूल्य पर मुझसे बिजली के सामान खरीदता है, तो मैं उससे सोने की गिरवी माँगता हूँ जो उस मूल्य के बराबर या उससे कुछ कम होता है। चूनाँचे वह मेरे पास अमानत रहता है यहाँ तक कि वह अपने ऊपर अनिवार्य सभी क्रिस्तों का कुछ निर्धारित ज्ञात महीने के दौरान भुगतान कर दे। जब ग्राहक उन सभी क्रिस्तों का उस अवधि में भुगतान कर देता है जिस पर समझौता किया गया है, तो मैं उसे पूरी गिरवी उसी तरह वापस कर देता हूँ जिस तरह कि मैं ने उससे प्राप्त किया था। तो क्या मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वही गिरवी का सहीह शरई तरीका है ?

तो उन्होंने ने उत्तर दिया :

"आपका उस आदमी से, जो एक विलंबित समय के लिए कर्ज़ के द्वारा कोई सामान खरीदता है, यह मुतालबा करना कि वह उस कर्ज़ के बदले में उसके बराबर सोना या इसी तरह की कोई चीज़ गिरवी रखे, शरीअत की दृष्टि से जायज़ है ; क्योंकि गिरवी रखना कुरआन, हदीस और इजमाअ (विद्वानों की सर्वसहमति) से साबित है। क्योंकि गिरवी (रहन) की वास्तविकता कर्ज़ को किसी ऐसी चीज़ के द्वारा सुदृढ़ करना है जिसका शरीअत की दृष्टि से बेचना जायज़ हो, ताकि यदि कर्ज़दार से कर्ज़ की आपूर्ति दुर्लभ हो जाए, तो रहन (गिरवी) या उसकी कीमत से कर्ज़ की आपूर्ति की जा सके। लेकिन आपके ऊपर रहन की रक्षा करना अनिवार्य है ; क्योंकि वह आपके पास अमानत है, और जब रहन रखनेवाला अपने ऊपर अनिवार्य कर्ज़ का भुगतान न करे, या रहन को बेचकर आपको उसकी कीमत से भुगतान न करे ; तो उसको बेचने और उससे आपका हक लेने के लिए शरई अदालत की तरफ लौटा जायेगा।"



"फतावा स्थायी समिति" (11/140-141) से अंत हुआ।

तथा रहन (गिरवी) की वैधता की तत्त्वदर्शिता और रहस्य जानने के लिए प्रश्न संख्या: (132648) का उत्तर देखें।

दूसरा :

अगर गिरवी रखा हुआ सोना निसाब (अर्थात ज़कात अनिवार्य होने की न्यूनतम मात्रा) को पहुँच जाए, या आपके पास कोई दूसरा सोना हो जिसके साथ मिलकर वह निसाब को पहुँच जाए, तो उसपर साल बीत जाने पर उसमें ज़कात अनिवार्य है, और उसका क़र्ज के बदले में गिरवी रखा हुआ होना उसमें ज़कात अनिवार्य होने में रुकावट नहीं है ; क्योंकि वह उसका पूरी तरह से मालिक है।

इसके लिए प्रश्न संख्या : (99311) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।